उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3
संख्या- 01 /2020/ 624 /46-3-2020-3(42)/2017
लखनऊ दिनांक : 12 मई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) की धारा 28 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन)(अट्ठाइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2020
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (अट्ठाइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। (2) यह दिनांक 12 मई, 2020 से प्रवृत्त होगी।
अध्याय- 10 का नाम परिवर्तन	2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में अध्याय-10 में नीचे स्तम्भ- एक में दिये गये शीर्षक के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान शीर्षक	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित शीर्षक
गन्ना के क्रय पर कमीशन	गन्ना के क्रय पर अंशदान

नियम 49 का संशोधन	3. उक्त नियमावली में,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 49 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
49- किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से कमीशन देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद को संदेय होगा: परन्तु पेराई सीजन 2018-19 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय कमीशन का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पॉच रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।	49- किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद को संदेय होगा: परन्तु पेराई सीजन 2019-20 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय अंशदान का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पॉच रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

नियम 49- क का संशोधन	4. उक्त नियमावली में,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 49 - क के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
49-क. एक गुड, राब खण्डसारी चीनी निर्माण कत्री इकाई का प्रत्येक अधिभोगी उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय- कर) अधिनियम, 1961 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 9/ 1961) की धारा 3 के अधीन क्रय-कर को संदत्त करने का दायी, इकाई द्वारा क्रय किए गए गन्ना के प्रत्येक कुन्तल के लिये कौंसिल को संदत्त करेगा जो पेराई के मौसम 1990-91 (01.06.1991 के प्रभाव से) 1994-95 तक के लिए सत्तर पैसे प्रति कुन्टल की दर पर कमीशन संदत्त करेगा एवं पेराई के मौसम 1995-96 के लिए एवं आगे कम से कम सांविधिक गन्ना की कीमत का आधा प्रतिशत के दर पर कमीशन संदत्त करेगा। कमीशन की सम्पूर्ण रकम सडकों के निर्माण के लिये एवं अन्य विकास कार्य के लिए कमीशन का उपभोग किया जायेगा।	**49-क.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) द्वारा उसकी धारा 174 के अधीन उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961) को निरसित किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम के उपबन्ध के संबंध में, अंशदान की सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग सडकों के निर्माण एवं अन्य विकास कार्य के लिए किया जायेगा।

नियम 50 का संशोधन	5. उक्त नियमावली में,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 50 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
50- औसत को निर्धारित करने में जिसमें कमीशन में से भुगतान एक क्षेत्र के गन्ना उत्पादक सहकारी समिति एवं कौंसिल को किया जायेगा, राज्य सरकार कौंसिल एवं गन्ना उत्पादक सहकारी समिति की वित्तीय स्त्रोंतों एवं कार्यशील आवश्यकताओं पर विचार कर सकती है।	50- अनुपात को निर्धारित करने में, जिसमें अंशदान में से भुगतान, किसी क्षेत्र के गन्ना उत्पादक सहकारी समिति एवं परिषद को किया जायेगा, राज्य सरकार परिषद एवं गन्ना उत्पादक सहकारी समिति की वित्तीय संसाधनों एवं कार्यशील आवश्यकताओं पर विचार कर सकती है।

नियम 51 का संशोधन	6. उक्त नियमावली में,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 51 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
51- एक पेराई के मौसम के संबंध में एक कौंसिल या एक गन्ना उत्पादक सहकारी समिति को कमीशन के भुगतान में आवश्यक समायोजन उस सत्र के अंत के पूर्व किया जायेगा।	51- किसी पेराई मौसम के संबंध में किसी परिषद या किसी गन्ना उत्पादक सहकारी समिति को अंशदान के भुगतान में आवश्यक समायोजन, उस मौसम के अंत के पूर्व किया जायेगा।

आज्ञा से,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 01 /2020/ 624 (1)/46-3-2020-3(42)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 12 मई, 2020 के असाधारण गजट अंक विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 1000 प्रतियाँ (प्रत्येक की) शासन के चीनी उद्योग अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय, द्वितीय तल, बापू भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय तथा लेखा परीक्षा, प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (गन्ना उत्पादक जिले, उत्तर प्रदेश)।
5. समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. चीनी उद्योग अनुभाग-1 / 2, उ.प्र. शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan
Chini Udyog Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.01 / 2020 / 624 /46-3-2020-3(42)/2017, dated : May 12 , 2020.

Notification

no. 01 /2020/ 624 /46-3-2020-3(42)/2020,
Lucknow : Dated : May 12 , 2020

In exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no.XXIV of 1953) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954:-

	THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (TWENTY EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2020.	
Short title and commencement	**1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Twenty Eighth Amendment) Rules, 2019.**	
	(2) They shall come into force with effect from 12th May, 2020.	
Rename of Chapter X	**2- In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954, hereinafter referred to as the said rules in Chapter X for the heading setout in Column I below, the heading as setout in Column II shall be substituted, namely:-**	
	Column I	**Column II**
	Existing heading	**heading as hereby subsituted**
	Commission on purchase of Cane	**Contribution on purchase of Cane**
Amendment of rule-49	**3- In the said rules, for rule 49 set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-**	
	Column I	**Column II**
	Existing rule	**Rule as hereby subsituted**
	49. The Occupier of a factory shall pay commission on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council: Provided that the commission payable on cane purchased during crushing season 2018-19 shall be paid at the rate of five rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (FRP).	49. The Occupier of a factory shall pay contribution on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council : Provided that the contrubution payable on cane purchased during crushing season 2019-20 shall be paid at the rate of five rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (FRP).

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Amendment of rule-49 A	**4- In the said rules, for rule 49 A set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-**	
	Column I	**Column II**
	Existing rule	**Rule as hereby subsituted**
	49-A. Every occupier of a Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Unit, liable to pay Purchase Tax under Section 3 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961 (U.P. Act No. IX of 1961), shall pay to the Council for every quintal of cane purchased by the Unit, commission at the rate of seventeen paise per quintal for the crushing season 1990-91 (w.e.f. 1-06-1991) till 1994-95 and for the crushing season 1995-96 and onward at the rate of half per cent of the minimum statutory cane price. The entire amount of the commission will be utilized for the construction of roads and other development work.	**49-A.** The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961 (U.P. Act No. IX of 1961) is repealed by the Uttar Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (U.P. Act No.1 of 2017) under Section 174 of that Act. In regard to provision of the above Act, the entire amount of the Contribution will be utilized for the construction of roads and other development work.
Amendment of rule-50	**5- In the said rules, for rule 50 set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-**	
	Column I	**Column II**
	Existing rule	**Rule as hereby subsituted**
	50- In determining the proportion in which payments out of the commission shall be made to the Council and the Cane-growers' Co-operative Society of an area the State Government may take into consideration the financial resources and the working requirments of the council and Cane-growers' Co-operative Society.	**50-** In determining the proportion in which payments out of the contribution shall be made to the Council and the Cane-growers' Co-operative Society of an area the State Government may take into consideration the financial resources and the working requirments of the council and Cane-growers' Co-operative Society.
Amendment of rule-51	**6- In the said rules for rule 51 set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-**	
	Column I	**Column II**
	Existing rule	**Rule as hereby subsituted**
	51- Necessary adjustment in the payment of the commission to a Council or a Cane growers' Co-operative Society in respect of a crushing season, shall be made before the end of that season.	**51-** Necessary adjustment in the payment of the Contribution to a Council or a Cane growers' Co-operative Society in respect of a crushing season, shall be made before the end of that season.

By Order,

Sanjay R. Bhoosreddy
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।